न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

मुकदमा संख्या- 163/2018

श्रीमती सौनम बनाम पुनीत यादव आदि।

धारा- 498 ए, 323, 504, 506, भा. दं. सं.
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।

दिनांक- 31. 01. 2023

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते तलबी आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत परिवाद पत्र आवेदिका श्रीमती सौनम पत्नी पुनीत यादव, पुत्री स्व० रामप्रकाश हाल निवासी मुहल्ला धनाई कस्बा व थाना गुरसरांय जिला झांसी द्वारा विपक्षी पुनीत यादव आदि के विरूद्ध परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर धारा- 498 ए, 323, 504, 506 भा. दं. सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में न्यायालय में तलब कर दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन किया है कि परिवादिया की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनाँक 22. 04. 2015 को विपक्षी संख्या 1 पुनीत यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झाँसी के साथ सम्पन्न हुई थी। परिवादिया की शादी में परिवादिया के परिवारीजन ने करीब पाँच लाख रूपये का दान दहेज दिया था। परिवादिया के परिवारीजन द्वारा दिये गये दान दहेज से परिवादिया के ससुरालीजन सन्तुष्ट नहीं हुये और शादी के बाद से ही परिवादिया से अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये नगद व एक मोटरसाईकिल की माँग को लेकर आय दिन प्रार्थिया को प्रताडित कर मारपीट करने लगे। दिनाँक 01. 10. 2017 को उपरोक्त विपक्षीगण दहेज की माँग को लेकर परिवादिया के ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर जान से मारने का प्रयास किया, तो परिवादिया के आश्वसन पर उसके ससुराल वाले उसे छोड़ा और परिवादिया को बुलैरो में बैठाकर कस्बा गुरसरांय लिवा लाये तथा परिवादिया से दहेज की माँग करते हुये गाली गलौच कर उसे छोड़कर चले गये। परिवादिया ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गुरसरांय गयी लेकिन वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादिया ने दिनाँक 08. 10. 2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी को जरिये डाक पत्र प्रेषित किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को दिये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति मय डाक रसीद एवं आधारकार्ड की छायाप्रति आदि को दाखिल किया गया है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था Smt. Nagawwa vs Veeranna Shivallngappa Konjalgi on 23 April, 1976 1976 AIR 1947, 1976 SCR 123 में यह अवधारित किया गया है कि-

(2) (a) At the stage of issuing the process the Magistrate is mainly concerned with allegations made in the complaint or the evidence led and he is only. to be prima facie satisfied whether there are sufficient grounds for proceeding against the accused. It is not the province of the Magistrate to enter into a detailed discussion on the merits or demerits of the case. The scope of the inquiry under s. 202 Cr. P. C. is extremely limited - limited to the ascertainment of the truth or falsehood of the allegations made in the complaint: (1) on the materials placed by the complainant before the court (ii) for the limited purpose of finding out whether a prima facie case for issue of process had been made out and (iii) for deciding the question purely from the point of view of the complainant without at all adverting to any defence that the accused may have. In proceedings under s. 202 the accused has got absolutely no locus standing and is not entitled to be heard on the question whether the process should be issued against him or not. [126 F; 127 E-F] 124

(b) In coming to a decision as to whether a process should be issued the Magistrate can take into consideration inherent improbabilities appearing on the face of the complaint or in evidence led by the complainant in support of the allegations. Once the Magistrate has exercised judicially the discretion

given to him it is not for the High Court or even this Court to substitute its own discretion for that of the Magistrate or to examine the case on merits with a view to find out whether or not the allegations in the complaint, if proved, would ultimately end in conviction of the accused. These considerations are totally foreign to the scope and ambit of inquiry under 5. 202 of the Code of Criminal Procedure, which culminates in an order under s. 204 of the Code. [127G-H; 128A-B]

उपरोक्त नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 204 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत आदेशिका जारी करने हेतु विधिक सिद्धांतों को अभिलिखित कर मजिस्ट्रेट को पगदर्शित किया है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित विश्लेषण किया जाता है-

परिवादिनी की ओर से अपने सशपथ कथन अन्तर्गत धारा 200 दं. प्र. सं. में यह कथन किया गया है कि *"मेरी शादी के बाद मेरे पति पुनीत यादव मारते थे। मुझसे ये एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल की मांग करते हैं। दिनाँक 01. 10. 2017 को मेरे पति पुनीत यादव ने मिट्टी का तेल डाल दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पैसे व मोटरसाईकिल नहीं दी तो हम जान से मार देगें। मेरे पति मेरे घर पर आकर उन्होंने मेरी माँ व मामा के समझाने पर भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि यदि एक लाख रूपये व मोटरसाईकिल या सारी जमीन बेचक मुझे पैसे दे दो नहीं तो हम तुम्हें नहीं रखेगें व तुम्हारी जान ले लेगें। मैं लगभग एक साल मायके में रही। फिर मैं ससुराल गयी, परन्तु पुनः मेरे पति ने पैसे व गाड़ी मांगने लगे। वे मुझे मारते रहे। दिनाँक 06. 10. 2018 को मैं अपने मायके आ गई। मैने इसकी सूचना थाने पर दी , परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब जरिये रजिस्टर्ड डाक एस. एस. पी. झांसी को पत्र लिखा गया। कोई कार्यवाही नहीं हुई। "*

परिवादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दो साक्षियों सी० डब्लू०- 1 निर्पत सिंह एवं साक्षी सी०डब्लू०- 2 श्रीमती रीता को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया गया है।

उक्त प्रकरण में परिवादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के अनुसार नामित विपक्षी ग्राम हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झाँसी के निवासी हैं। संबंधित थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी से उक्त घटना के बाबत 202 जा०फौ० में अन्तर्गत अन्वेषण कर रिपोर्ट न्यायालय आहूत की गयी। उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है।

सुना एवं पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों व संबंधित ग्राम हंसारी थाना प्रेमनगर जिला झाँसी द्वारा प्रेषित अन्वेषण रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 202 जा०फौ० का परिशीलन किया। परिवादिनी द्वारा फेहरिस्त गवाहान पत्रावली पर दाखिल की जा चुकी है।

चूंकि परिवादिनी जो कि प्रस्तुत मामले में पीड़िता भी है, के बयान/ परीक्षा 200 दं. प्र. सं. एवं अन्य साक्ष्यों के अनुसार इस स्तर पर पीड़िता के पति पुनीत यादव पुत्र बृजेश यादव द्वारा दहेज के रूप में एक लाख रूपये नकद व एक मोटरसाईकिल मांगे जाने एवं पीड़िता द्वारा असमर्थता व्यक्त करने मारपीट किये जाने तथ्य स्पष्ट है। अतः उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अन्तर्गत धारा- 498 ए , 323 भा. दं. सं. व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम विपक्षी पति पुनीत यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम हंसारी, थाना प्रेमनगर, जिला झाँसी के विरुद्ध इस स्तर पर बनना परिलक्षित होता है। अतः विपक्षी पति पुनीत यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम हंसारी, थाना प्रेमनगर, जिला झाँसी को धारा- 498 ए, 323 भा. दं. सं. व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में तलब करने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी (पति) पुनीत यादव पुत्र बृजेश यादव निवासी ग्राम हंसारी, थाना प्रेमनगर, जिला झाँसी को 498 ए ,323 भा. दं. सं. व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। परिवादिनी नियमानुसार पैरवी अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 28. 02. 2023 को पेश हो।

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झाँसी।